

आज पेशा हुई प्रतिवादी सं. 5 की तलबी जरिये
रजिस्टर्ड ए.पी. करवायी गयी थी जिसमें एक माह से
अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इस तलबी
सम्बन्ध में जागी है। बावजूद सम्बन्ध तामिल अदालत
रहने पर प्रतिवादी सं. 5 के विरुद्ध एज्युटिव कार्यवाही
अमल में लायी जाती है। वास्ते तलबी प्रतिवादी सं.
19 पत्रावली दिनांक 24/2/21 को पेश हो।

24/2/2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय अप. प्रतिवादी
सं. 19 की तामिल सम्बन्ध रूप से दोस्त पेशशुदा है।
बावजूद सम्बन्ध तामिल अदालत रहने पर प्रतिवादी सं.
19 के विरुद्ध एज्युटिव कार्यवाही अमल में लायी जाती
है। तत्पश्चात् प्रकरण में बहस वकुलाय उज्युपस रुकी
गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 25/2/2021 को
पेश हो।

25/2/2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय अप. प्रकरण में
बहस वकुलाय उज्युपस पूर्व में रुकी जा चुकी है।
वरवस बहस वकुलाय उज्युपस ने निवेदन किया कि
प्रकरण में विवादित पक्षधरों द्वारा राजीनामा व
इकबाली जवाब पेश किया जा चुका है। अतः मुाधिक
राजीनामा दावा डिमी फरमाया जावे।
पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजब रिपोर्ट,
पेशशुदा राजीनामा व इकबाली जवाब अति का अवलोकन
किया गया एवं बहस वकुलाय उज्युपस पर सगौर प्रण
किया गया। चूंकि प्रतिवादी सं. 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18
द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है जिसे न्यायालय
द्वारा द्वारा तस्वीक भी किया जा चुका है एवं प्रतिवादी

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व त
अहकाम जो
हुक्म की त
में जारी

सं. 2, 3, 9, 12 त 16 द्वारा वारिगण के दले के
 प्रति सहमति जगते हुए ईकवाली जवाब पेश
 किया जा चुका है जो भी राजीनामे की श्रेणी
 में ही आता है। अतः वाद, वारिगण मुलाविक
 राजीनामा दिनांकित 15/7/2020 स्वीकार किया
 जाकर डिक्री किया जाता है। राजीनामा दिनांकित
 15/7/2020 डिक्री का भाग रहेगा। मुलाविक राजीनामा
 दिनांकित 15/7/2020 राजस्व रिफॉर्म में अमल
 दराजद हो। तदनुसार प्रकरण में पचा डिक्री जारी
 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
 क्रम हो तथा वाद तलकरील दायरिजल दफ्तर हो। डिक्री
 आज दिनांक 25/2/2021 को खुके न्यायालय में सुनाया
 गया।



(राकेश कुमार)
 RAS
 उपखण्ड अदालतारी
 खण्डेला (सीकर)